Shri Jai Narain Mishra P.G. College, Lko

Department of Law

Subject- Constitutional Law of India

TOPIC- Protection in respect of conviction for offences (Art.20)

LL.B. 2nd Semester

By – Mahendra kumar Baishya

Assistant Professor (Law)

अनुच्छेद 20

अनुच्छेद 20 उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है निम्नलिखित संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है

1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण
2. दोहरे दंड से संरक्षण
3. आत्म अभिशंसन से संरक्षण

1. **कार्योत्तर विधियों से संरक्षण**

अनुच्छेद 20 का खंड (1) यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति केवल किसी प्रवृत्त विधि के अंतर्गत विहीत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा अन्य अपराध के लिए नहीं और न ही वह अधिक दंड का पात्र होगा जो अपराध करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। कार्योत्तर विधि व विधि है जो अपराध करने के पश्चात बनाई जाती है और ऐसे कार्य को अपराध घोषित करती है जो जब किया गया था अपराध नहीं था या प्रवृत्त विधि में भी दंड की मात्रा को बढ़ा देती है। यदि कोई कार्य जिस समय वह किया गया था अपराध नहीं था तो उससे बाद में अपराध नहीं घोषित किया जा सकता है।

परीद बनाम नीलंबर

इस वाद में पूर्व विधि के अनुसार पंचायत कर देना कोई अपराध नहीं था बाद में एक विधि पारित करके उसे अपराध घोषित कर दिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बाद में पारित विधि असंवैधानिक है।

- **अपराध के किए जाने पर शास्त्री से अधिक शास्त्री नहीं**

अनुच्छेद 20 खंड (1) का दूसरा भाग किसी प्रवृत्त विधि में विहित दंड की मात्रा को बढ़ाने का प्रतिषेध करता है अर्थात कोई व्यक्ति उससे अधिक दंड का पात्र नहीं होगा जो उस अपराध को करने के समय किसी प्रवृत्त विधि के अधीन दियाजा सकता था। **केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** इस बाद में अभियुक्त ने सन 1947 में एक अपराध किया। उस समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत इस अपराध के लिए कारावास

अथवा अर्थदंड या दोनों दिया जा सकता था। उक्त अधिनियम में सन 1949 में संशोधन करके उस अपराध के लिए दंड को बढ़ा दिया गया। इसके अनुसार उसके ऊपर अतिरिक्त दंड के रूप में चुकाये हुए रुपये को ज़ब्त कर लेने के लिए व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सन 1947 में किए गए अपराध के लिए सन 1949 में दंड नहीं बढ़ाया जा सकता और बड़े हुए अर्थदंड को घटाने का आदेश दिया।

- **<u>लाभकारी प्रावधान</u>**

अभियुक्त कार्योत्तर विधियों के लाभकारी उपबंधों का सर्वदा लाभ उठा सकता है अर्थात यदि किसी विधि के द्वारा विहित दंड को बाद में उस विधि में संशोधन करके कम कर दिया जाता है तो अभियुक्त लाभ उठा सकता है अनुच्छेद 20(1) केवल दंड के बढ़ाए जाने का विरोधी है दंड के कम किए जाने का नहीं।

रतनलाल बनाम पंजाब राज्य उच्चतम न्यायालय ने यह अभीनिर्धारित किया कि अभियुक्त अधिनियम का पूरा लाभ उठा सकता है जिसके तहत उसके दंड को कम कर दिया गया है।

2. **दोहरे दंड से संरक्षण**

यह संवैधानिक संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(2) के द्वारा सभी व्यक्तियों को (नागरिक या आनागरिक) को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20(2)उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा।

यह संरक्षण इंग्लैंड के कामन लॉ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभीयोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। (Nemo dabate bix vexary) अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि अभियुक्त के विरुद्ध एक ही अपराध के लिए न केवल अभियोग चलाया गया हो बल्कि दंडित भी किया गया हो तथा दूसरा अभियोग उसी अपराध पर आधारित हो। यदि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है तो दूसरे अभियोग पर रोक नहीं है।

आवश्यक तत्व

1. व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है
2. अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो और वह न्यायिक प्रकृति की रही हो
3. अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में हो जिसके लिए दंड का प्रावधान हो।

मकबूल हसन बनाम बम्बई राज्य

इस बाद में अभियुक्त को सी कस्टम एक्ट के अधीन अभियोजित किया तत्पश्चात भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आयोजित किया गया। अभियुक्त ने दूसरे अभियोजन पर यह कहते हुए आपत्ति उठाई कि वह एक अपराध के लिए दो बार अयोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कस्टम अधिकारी न्यायालय या न्यायाधिकरण नहीं था ना ही सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश न्यायिक प्रकृति का था जिससे दोहरे खतरे के नियम के संरक्षण का दावा किया जा सकता था।

(3). आत्म अभीशंसन से संरक्षण

अनुच्छेद 20 का खंड(3)यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे अपराधी ना सिद्ध कर दिया जाए अपराधी के अपराध को साबित करने का भार अभियोजक पक्ष पर होता है। अभियुक्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई स्वीकृति या बयान देने की आवश्यकता नहीं होती है

आवश्यक तत्व

1. व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो,
2. उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो।
3. उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए

1. व्यक्ति को अपराध में अभियुक्त होना चाहिए

अनुच्छेद 20(3)का संरक्षण केवल अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ही प्राप्त है। यह सिविल कार्रवाइयों में लागू नहीं होता है। भले ही अपराधिक दायित्व ऐसी कार्रवाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले हो।

एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र

इस बाद में न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षण या जांच न्यायालय के समक्ष ही प्रारंभ हुआ हो। एक व्यक्ति जिसका नाम पुलिस की प्रथम दिला रिपोर्ट (FIR)में उल्लिखित है और जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दिया है इस अनुच्छेद के संरक्षण का दावा कर सकता है।

2. अपने विरुद्ध साक्ष्य देना

अनुच्छेद 20 खंड 3 का संरक्षण अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने के विरुद्ध प्राप्त है इसके अनुसार गवाह बनने में सभी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करना शामिल है जैसे मौखिक दस्तावेज या अन्य तरीके से इसके अंतर्गत अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर भी शामिल हो जाएगा।

न्यायालय ने **एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र** के बाद में गवाह बनने के लिए वाक्यांश का बड़ा विशद अर्थ लगाया था किंतु **बांबे राज्य बनाम काठी कालू** के बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस विशद व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और गवाह बनने के लिए वाक्य का अर्थ कुछ सीमित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि गवाह बनने का अर्थ साक्ष्य प्रस्तुत करना या न्यायालय में किसी भी विलेख को प्रस्तुत करना जो विवादास्पद विषय पर कुछ प्रकाश डालता हो। इसमें अभियुक्त के ऐसे बयान शामिल नहीं हैं जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित हैं।

3. साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाना

कोई अभियुक्त पश्चाताप करने के लिए स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर सकता है किंतु इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए या कोई धमकी या

लालच नहीं दी जानी चाहिए यदि दबाव डालकर उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण प्राप्त होगा

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभीनिर्धारित किया कि नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ और ब्रेनफिंगर प्रिंटिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है। यह आत्म अभिशंसन है, अतः वर्जित है।